भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2534

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि

2534. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दमन और दीव के जिला पंचायतों में महिला अध्यक्ष का कार्यकाल पूरे पांच वर्ष के बजाय लगभग दो वर्ष और छह महीने कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह नियम किस तिथि को लागू किया गया था और इसे किस अधिसूचना या संशोधन के माध्यम से प्रभावी बनाया गया था और इसके पीछे सरकार का क्या औचित्य था;

(ग) क्या इस व्यवस्था से महिला प्रतिनिधियों को अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने से रोका जा रहा है, जिससे उनके नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक अनुभव के विकास में बाधा उत्पन्न होती है;

(घ) क्या यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की भावना के विपरीत है तथा इसे महिलाओं के साथ अन्याय माना जाना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रावधान को निरस्त करने/संशोधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) जी हाँ, महोदय। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि 'दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पंचायत विनियमन, 2012' को राष्ट्रपति के दिनांक 8 अक्टूबर**,** 2020 के विनियमन आदेश, 2020 के तहत संशोधित किया गया था और इसे दिनांक 17.04.2021 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, जिसके माध्यम से ज़िला पंचायतों में अध्यक्ष, जिनमें महिला अध्यक्ष भी शामिल हैं, का कार्यकाल उनकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से दो वर्ष और छह महीने का तय किया गया है, और इससे अधिक नहीं। ज़िला पंचायत में अध्यक्ष का पद हर दूसरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि इस संशोधन का उद्देश्य महिलाओं की नेतृत्व की भूमिका और प्रशासनिक अनुभव को मज़बूत करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

(ग) जी नहीं, महोदय। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि दो वर्ष और छह महीने की अवधि विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ताकि शेष कार्यकाल के लिए नेतृत्व की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के प्रावधान के साथ-साथ उनके नेतृत्व की भूमिका, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक अनुभव को मज़बूत किया जा सके।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के सिद्धांत और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की भावना के प्रतिकूल नहीं है और इसे महिलाओं के साथ अन्याय नहीं माना जाना चाहिए। इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की भावना को पूरा करने के एक तरीके के तौर पर देखा जाता है, ताकि अधिक प्रतिनिधि विशेषकर आरक्षित श्रेणियों और महिलाओं को नेतृत्व के पद संभालने के अवसर मिले।

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पंचायत विनियमन, 2012 में उल्लिखित प्रावधानों को देखते हुए, किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
